अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–23.10.2018 को लघु सिंचाई परिक्षेत्राधीन मुख्य अभियंता राँची/दुमका/भू-गर्भ जल निदेशालय से संबंधित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं की समीक्षा दिनांक–23.10.2018 को की गई एवं निम्न निदेश दिए गए :–

सर्वप्रथम विगत बैठक का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

1. लाभुक समिति की बैठक आहुत करने के निदेश के अनुपालन के संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि लाभुक समिति के साथ बैठक किया जा रहा है। लाभुक समिति के बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया एवं त्रैमासिक रोस्टर बनाकर लाभुक समितियों का बैठक आहुत करने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालनः– सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई, प्रमंडल)

2. प्रत्येक योजनाओं के मासिक प्रगति (भौतिक एवं वित्तीय) के लक्ष्य का सप्ताहिक अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

3. स्वीकृत योजनाओं के निविदा का अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया ताकि योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब न हो।
4. मुख्यालय एंव क्षेत्रीय पदाधिकारियों को योजना के साथ–साथ कार्यालय निरीक्षण करने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

5. क्षेत्रीय पदाधिकारियों को प्रत्येक माह का Tour Programmee तैयार कर उच्चाधिकारियों को देने एवं Tour Diary को अगले माह के प्रथम सप्ताह में उच्चाधिकारियों को समर्पित करने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

6. चल रही योजनाओं की प्रगति का सघन अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया एवं योजनाओं को 20 जनवरी 2019 तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

7. सभी कार्यपालक अभियंता अपने प्रक्षेत्राधीन संभावित एवं क्षतिग्रस्त योजनाओं की सूची अविलम्ब विभाग में समर्पित करेंगे।

   (अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

8. सभी प्रमंडलों के लघु सिंचाई योजनाओं से हो रहे लाभ का data तैयार करने का निदेश दिया गया। जिन लघु सिंचाई योजनाओं से लाभ नहीं मिल रहा है उसका कारण एवं समस्या के निदान हेतु प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

9. सभी प्रमंडलों में विभागीय परिसम्पति (भवन, गोदाम, भूमि) उसकी स्थिति, आवश्यकता, रकवा का ब्योरा समर्पित करने का निदेश दिया गया।

सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल से उनके परिक्षेत्राधीन कनीय अभियंता का कार्यक्षेत्र चिन्हित कर विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। तदुपरान्त कनीय अभियंता के कार्यक्षेत्र के निर्धारण की कार्रवाई विभाग द्वारा की जायेगी।

ह0 / –
अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग,राँची।

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / बैठक / 60 / 2013 (खण्ड–I)........................ / राँची, दिनांक–....................
प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता (मो0) / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका / सभी अधीक्षण अभियंता लघु सिंचाई अंचल / सभी कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल / प्रबंध निदेशक, झालको, राँची / निदेशक, भू–गर्भ जल निदेशालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अभियंता प्रमुख–II
जल संसाधन विभाग,राँची।

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / बैठक / 60 / 2013 (खण्ड–I)........................ / राँची, दिनांक–....................
प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
अभियंता प्रमुख–II
जल संसाधन विभाग,राँची।

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / बैठक / 60 / 2013 (खण्ड–I)......471...... **/ राँची, दिनांक–**....01/11/18
प्रतिलिपिः–वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/10/18
अभियंता प्रमुख–II
जल संसाधन विभाग,राँची।